न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), सन्त कबीर नगर।

उपस्थितः कृष्ण कुमार–V, (उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O.Code-UP 6390)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–0365/2019

UPSK010012542019

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना–महुली, जनपद–सन्त कबीर नगर।
.... अभियोजन

बनाम

1. मोनिस पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी ग्राम–जमूहट, थाना–महुली, जनपद–सन्त कबीर नगर। .... अभियुक्त

मु0अ0संख्या–0103/2019
धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम
थाना–महुली, जनपद–संतकबीर नगर।

1. राज्य द्वारा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) श्री अनिल सिंह।
2. अभियुक्त द्वारा, विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद असलम।

निर्णय

1. अभियुक्त **मोनिस** पर धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिमय 2012 एवं धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोप है कि दिनांक–12.03.2019 से एक वर्ष पूर्व किसी समय, बहद ग्राम–जमुहट, थाना–महुली, जिला–सन्त कबीर नगर में अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा श्रीमती असीरून्निशां की 13 वर्षीय अवयस्क लड़की/पीड़िता को बहला–फुसलाकर उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से अवैध सम्भोग/विवाह करने के आशय से व्यपहरण /व्यपहृत कर,पीड़िता के इसाथ बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया तथा बलात्कार करते समय मोबाईल से फोटो व वीडियों बनाकर वाट्स–अप तथा इण्टरनेट पर डालकर प्रचार–प्रसार किया।

2. वर्तमान प्रकरण में अप्राप्तवय बालिका/फरियादिया को अधिनियम की धारा–33(7) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधित प्रावधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतो में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप बालक की पहचान प्रकट न किये जाने के दृष्टिगत निर्णय की अग्रिम चरणों में **''पीड़िता''** लेखबद्ध किया जा रहा है।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा असीरूननिशां पत्नी शमशेर साकिन–जमुहट,थाना–महुली,जनपद–सन्तकबीरनगर द्वारा दि0–12.03.2019 को पुलिस अधीक्षक,सन्तकबीरनगर को इस आशय की तहरीर दिया गया कि–''प्रार्थिनी के गॉव का मोनिस पुत्र अब्दुल सत्तार मेरी नाबालिग पुत्री पीड़िता उम्र 13 वर्ष 4 माह से लगभग 1 वर्ष पूर्व बहला फुसलाकर अपने घर के सामने छप्पर में ले जा करके जबरदस्ती दुष्कर्म (बलात्कार) किया। प्रार्थिनी की पुत्री लज्जा वश प्रार्थिनी वो प्रार्थिनी के परिवार में किसी को नहीं बतायी। प्रार्थिनी की पुत्री को शादी का लालच देकर के बराबर चोरी छुपे दुष्कर्म करता रहा और आज से 15 दिन पहले मेरी बेटी के साथ बुरा काम करते समय नंगी तस्वीकार खींचकर तमाम लोगों के वाट्सप तथा नेट पर डाल दिया है। मोनिस का मो0नं0 8052363312 है। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना महुली में जा करके दिनांक–09.03.2019 को प्रार्थना–पत्र दिया, किन्तु आज तक मुकदमा पंजीकृत करके कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना है कि मोनिस पुत्र अब्दुल सत्तार के विरूद्ध मुकदमा करके आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश थानाध्यक्ष महुली को देने की कृपा करें।'' वादिनी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर के आदेश के अनुपालन में थाना–महुली पर अभियुक्त मोनिस के विरूद्ध मु0अ0सं0–103/19, धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व 67, 67ए सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मोनिस के विरूद्ध धारा–376 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के तहत आरोप–पत्र दिनांकित–13.03.2019 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. दिनांक–08.07.2019 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त मोनिस के विरूद्ध धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के तहत आरोप विरचित किये जाने पर अभियुक्त ने अपराध किये जाने से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिये वादिनी मुकदमा असीरून्निशां पी0डब्लू0–01, गोली पी0डब्लू0–02, पीड़िता पी0डब्लू0–03, हे0का0 बाबूलाल प्रसाद पी0डब्लू0–4, डा0 सबा नुसरत पी0डब्लू0–5 एवं निरीक्षक गौरव सिंह को पी0डब्लू0–6 के रूप में सशपथ परीक्षित कराया गया है।

7. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 दिनांक–11.08.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत होने, अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–4 द्वारा गलत बयान देने, विवेचक द्वारा गलत आरोप–पत्र प्रेषित करने,दुश्मनीवश मुकदमा चलाये जाने, स्वयं को निर्दोष होने तथा सफाई में साक्ष्य दिये जाने से इन्कार किया है।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए तहरीर वादिनी मुकदमा प्रदर्श क–1,पीड़िता का बयान धारा–164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–4, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–5, पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–6, नक्शा–नजरी प्रदर्श क–7 व आरोप पत्र प्रदर्श क–8 प्रस्तुत किया गया है।

<u>मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का विवरणः</u>

9. **पी0डब्लू0–1 असीरून्निशां** (वादिनी मुकदमा) ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–'' मोहनीस मेरे गॉव का है। पीड़िता मेरी लड़की है। मेरी लड़की को मोहनीस ने छप्पर में ले जाकर दुष्कर्म किया था। लोक लाज की वजह से पीड़िता ने नहीं बताया। मोहनीस ने शादी का लालच देकर पीड़िता के साथ कई बार रेप किया व नंगी तश्वीर लेकर नेट पर डाल दिया। जानकारी हुई तो मैनें अपनी लड़की से पूछा तो पीड़िता ने बताया कि मोहनिस साल भर से शादी का लालच देकर रेप करता था, फोटो खींचकर नेट पर डाला गया। गॉव नात बात के कई लोगों के मोबाइल पर पीड़िता का नंगी तस्वीर डाल दिया था। घटना की सूचना थाने पर दिया परन्तु कार्यवाही नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना–पत्र दिया था। दरख्वास्त 4क/4 है। A स्थान पर बने अंगूठे की पुष्टि किया गया, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। ''

10. **पी0डब्लू0–2 गोली** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' पीड़िता पुत्री रामशेर मेरी सगी नतिनी है। पीड़िता के माता का नाम असीरून्निशां है। लगभग 10 माह से ऊपर हुआ होगा, मेरे गांव का ही मोनिस पुत्र अब्दुल सत्तार मेरी नतिनी के साथ अपनी नंगी व तमाम गलत फोटो जिसमें पीड़िता का भी कपड़ा खोला गया था, गांव में तमाम लोगों के मोबाइल पर डाल दिया था। जब लोग मेरे घर पर आकर बताने लगे तब मुझे इस बात की जानकारी हुई मेरे परिवार वाले और मैं पीड़िता से जब इसके बाबत पूछे, तब उसने रोते–रोते बताया कि–'' मोनिस हमारे साथ बहुत दिन से गल काम जबरदस्ती कईले रहना और हमार फोटो खींच ले रहलै। कई बार तो अपने घर के छप्पर में ही बुलाकर हमरे साथ गलत काम मोनिस किये रहे। '' मेरी नतिनी ने यह भी बताया कि अश्लील तस्वीर लोगों को दिखाने की धमकी भी मोनिस देते थे। इसी नाते मैं उसका विरोध नहीं कर पाती थी। सही घटना की जानकारी के बाद थाना महुली में पीड़िता की मॉ असीरून्निशां ने इसका मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने भी मेरा बयान लिया था। इस समय भी पीड़िता की उम्र ज्यादा से ज्यादा चौदह वर्ष होगी। पीड़िता मेरी नतिनी है। घटना के समय उसकी उम्र तेरह वर्ष थी। मोनिस पुत्र सत्तर मेरे गॉव का है। मोनिस मेरी नतिनी को बहला फुसलाकर अपने घर के छत पर बने छप्पर पर दुष्कर्म करता था। वह मेरी नतिनी के साथ शादी का

झांसा देकर दुष्कर्म करता था। मेरी नतिनी लज्जावश यह बात किसी को नहीं बताती थी। बाद में कुछ समय बाद वह मेरी नतिनी का नंगी फोटो लेकर इन्टरनेट पर डाल दिया, तब हम लोग थाने पर जाकर मुकदमा किये। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। ''

11. पी0डब्लू0–3 पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' घटना घटित हुए चार साल हो गये हैं। मोहनीश हमारे गांव का रहने वाला है। मोहनीश हमें बुलाकर अपने घर ले जाकर मेरे साथ बलात्कार करता था। उस समय मैं 17 वर्ष की थी। अब मैं बीस वर्ष की हूमॅ। उसे पैरोल पर छुड़ाना चाहती हूँ तथा शादी करना चाहती हूॅ। मेरा मोहनीश के संसर्ग से कोई बच्चा नहीं है। मोहनीश से घटना से दो साल पहले से मेरी बातचीत होती थी। महिला सिपाही ने मेरा बयान लिया था। मेरा डाक्टरी जांच हुई है। मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष मेरा बयान हुआ था। बयान 164 द0प्र0सं0 शीलबन्द लिफाफा आज न्यायालय में खोला गया। साक्षी ने बयान पर लगे फोटो एवं उसके नीचे बने हस्ताक्षर की पुष्टि की। साक्षी को धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यही बयान मैनें मजिस्ट्रेट साहब को दी थी। बयान के नीचे अंगूठा निशान है, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। ''

12. पी0डब्लू0–4 बाबूलाल प्रसाद (हे0का0) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' वर्ष 2019 में मैं बतौर हेड मोहर्रिर थाना महुली पर तैनात था। दिनांक 13.03.19 करो मेरी नियुक्ति कार्यलेख पर थी। उसी दिन वादी मुकदमा असीरून्निशां के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मेरे द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोलकर CCTNS पर मुकदमा अपराध संख्या–103/2019, धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट एवं 67ए, 67 आई0टी0एक्ट विरूद्ध मोनिस कायम कराया गया और उसकी प्रति निकालकर थाना प्रभारी के समक्ष चिक रखी गयी। चिक FIR पर बिन्दु A स्थान पर SHO के हस्ताक्षर है। SHO श्री शैलेन्द्र राम के हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूॅ। चिक FIR शामिल पत्रावली 4क/1 ता 4क/3 है जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इस मकदमें की जी0डी0 मेरे द्वारा कायम करायी गयी। जी0डी0 नं0–39 दिनांक 13.03.19 समय 18:15 बजे विरूद्ध मोनिस मु0अ0सं0–103/19, धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सों एक्ट व 67ए, 67 आई0टी0एक्ट कायम की गयी। जी0डी0 शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/20 है जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। ''

13. पी0डब्लू0–5 डा0 सबा नुसरत ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' मैं दिनांक 15.03.2019 को बतौर महिला चिकित्साधिकारी, संयुक्त जिला चिकित्सालय संतकबीर नगर में तैनात थी। उस दिन मैनें पीड़िता पुत्री गोली साकिन जमुहट थाना महुली का डाक्टरी मुआयना समय 8:00 पी0एम0 पर किया था।पीड़िता को थाना महुली की महिला कान्सटेबल प्रमिला द्वारा मेरे समक्ष लाया गया था।
पहचान चिन्ह–चेहरे पर बायें तरफ होंठ के नीचे काले तिल का निशान। पीड़िता अपना नाम पता, समय सही बता रही थी। यह भी बताया था कि घटना दो दिन पहले की है। ऊंचाई 5 फिट, वजन 45 किग्रा., दॉत 13/14 मौजूद थे। बाहय् परीक्षण–पीड़िता के पूरे शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। आन्तरिक परीक्षण–पीड़िता के आन्तरिक भाग पर कोई चोट का निशान नहीं था। योनि की झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। वेजाइनल स्मीयर, स्वाब, नाखून, कांख व नीचे के बाल व खून का सैम्पल लेकर डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु

महिला कान्स0 को दिया। पीड़िता ने अपनी एल0एम0पी0 20 दिन पहले आना बतायी थी। पीड़िता के उम्र निर्धारण हेतु एक्सरे हेतु रेडियोलाजिस्ट के पास रेफर किया। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट संलग्न पत्रावली 4क/13 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। A बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ, इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। पीड़िता का पूरक परीक्षण रिपोर्ट, एक्सरे प्लेट नं0–159 के आधार पर मेरे द्वारा तैयार किया गया था। रेडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष आंकी गयी। **अभिमत**–पीड़िता के साथ सेक्सुअल एसार्ट के हमले के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। पूरक परीक्षण रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। कागज संख्या–4क/15 शामिल मिसिल है, B बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ, इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। ''

14. **पी0डब्लू0–6 गौरव सिंह** (निरीक्षक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' दिनांक 13.03.2019 को मेरी तैनाती थाना महुली पर निरीक्षक अपराध के पद पर थी। वादिनी मुकदमा असिरून्निशा पत्नी शमशेर साकिन–जमुहट, थाना महुली जनपद–सन्त कबीर नगर द्वारा एक पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर को टाईपशुदा प्रार्थना पत्र दि0–12.03.2019 को दिया गया, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया। उनके आदेश पर मुकदमा अपराध संख्या–103/2019 अन्तर्गत धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67, 67ए आई0टी0एक्ट विरूद्ध मोनिस पुत्र अब्दुल सत्तार साकिन जमुहट थाना–महुली, जनपद–सन्त कबीर नगर कायम होकर मुझ विवेचक को विवेचना प्राप्त हुई। वादिनी व पीड़िता के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। वह नक्शा नजरी संलग्न पत्रावली कागजल सं0–4क/05 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।– तमामी विवचेना बयान वादिनी, बयान पीड़िता, निरीक्षण घटनास्थल, बयान गवाहान, अवलोकन डाक्टरी रिपोर्ट इत्यादि साक्ष्य संकलन से अभियुक्त मोनिस के विरूद्ध जुर्म धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67, 67ए आई0टी0एक्ट में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। वह आरोप–पत्र संलग्न पत्रावली कागज सं0–3क/1 ता 3क/4 है जिसके B बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। ''

15. **<u>विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस :</u>**

अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क लड़की/पीड़िता को अवैध संभोग/शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म/बलात्संग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया तथा बलात्कार करते समय मोबाइल से फोटो खींचकर वाट्स–अप तथा इण्टरनेट पर डालकर प्रचार–प्रसार किया। धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता ने अभियोजन कथानक व घटना का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अभियोजन का मामला युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित होता है।

16. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। साक्षीगण के बयानों में विरोधाभाष है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपने तहरीर में घटना की कोई तिथि व समय नहीं बताया गया है। एफ0आई0आर0 काफी विलम्ब से है। अभियुक्त को दुश्मनीवश फंसाया गया है। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

17. अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनका अभिलेख पर उपस्थित साक्षीगण के साक्ष्य का सूक्ष्मता व गहनता से परिशीलन किया गया।

18. विधि का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि जब तक कि किसी अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सन्देह से परे कानून के अनुसार साबित न हो जाए, वह निर्दोष माना जाता है और इस सिद्धान्त के विरूद्ध अभी भी आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन नहीं हुआ है तथा विधि का यह भी सिद्धान्त है कि कोई निर्दोष को सजा न हो, लेकिन कोई दोषी छूटे ना। **स्टेट आफ उ0प्र0 बनाम रामबीर सिंह 2007** (6) S.C.C. 164 तथा A.I.R. 2003 S.C. 2978 **स्टेट आफ उ0प्र0 बनाम रामसेवक** के इन्हीं सुनहरे सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए यह देखना होगा कि परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से क्या अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित किया है या नहीं ?

19. प्रश्नगत मामला एक ऐसा अपराध है,जिसके बारे में विधायिका द्वारा विशेष विधायन बनाया गया है। सामान्य दण्ड विधिशास्त्र के अनुसार अभियोजन पक्ष को अपना मामला सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी भी दुर्बलता का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता तथा विचारण प्रारम्भ होने के साथ अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है, जबकि पाक्सो अधिनियम, 2012 सामान्य दण्डशास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है और पाक्सों अधिनियम की धारा–29 अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा करती है तथा धारा–30 पाक्सों अधिनियम अपराध की मनः स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करती है।

20. पाक्सों अधिनियम की धारा–29 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा–जहॉ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा–3, धारा–5, धारा–7 और धारा–9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है। वहॉ विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है,दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।

21. **पाक्सों अधिनियम की धारा–30 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणाः**–

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित

कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्ति–युक्त सन्देह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता सम्भाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

धारा–29 से ही स्पष्ट है कि इसके अधीन उपधारणा अधिनियम 2012 की धारा 3, 5, 7 तथा 9 में परिभाषित अपराध,उनके दुष्प्रेरण और प्रयत्न के बारे में लागू होती है। शेष अपराधों के बारे में धारा–29 लागू नहीं होती है।

धारा–3 और धारा–5 में परिभाषित 'प्रवेशन लैंगिक हमला' और 'गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला' के अपराधों में अधिनियम 2012 की धारा–30 की उपधारणा लागू नहीं होगी क्योंकि अधिनियम की धारा–30 'आपराधिक मानसिक दशा' की उपस्थिति का प्रावधान करती है और धारा–30 के स्पष्टीकरण में आपराधिक मानसिक दशा के अन्तर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण होने का प्रावधान है, जबकि धारा–3 और 5 में परिभाषित 'प्रवेशन लैंगिक हमला' और 'गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला' के लिए किसी भी प्रकार की आपराधिक मानसिक दशा अर्थात आशय या ज्ञान या हेतुक या विश्वास करने के कारण होना आवश्यक नहीं है।

धारा–29 की उपधारणा लागू होने के लिए अभियोजन को प्राथमिक तथ्य स्थापित करने होते हैं,तभी धारा–29 लागू होती है। धारा–30 केवल आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करती है और इसके लिए भी प्राथमिक तथ्य अभियोजन को स्थापित करने होते हैं।

22. इस प्रकार न्यायालय पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने, अभियुक्त की मनःस्थिति की उपधारणा करने हेतु बाध्य है। अधिनियम के प्रावधान आज्ञापक है, किन्तु उसकी उपधारणा खण्डनीय है। अभियुक्त अपने स्वयं के साक्ष्य एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य से इस उपधारणा का खण्डन कर सकता है।

23. **नवीन डी0 बारिये बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018, सी0आर0एल0जे0 3393** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अधिनियम 2012 की धारा–29 में उपबन्धित उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध निरपेक्ष नहीं है,बल्कि खण्डनीय है। यह उपधारणा तब लागू होती है,जब अभियोजन प्रथमतः प्राथमिक तथ्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है।

24. **मिस–ईरा द्वारा डा0 मंजूलता बनाम स्टेट, एन0सी0टी0 दिल्ली, ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 3457,** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम 2012 की धारा–2(1)(डी) में परिभाषित बालक से तात्पर्य उसकी भौतिक आयु से है, न कि मानसिक आयु से है। 18 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति बालक की परिभाषा में आता है।

आयु के निष्कर्ष के बाद आयु को अपराध के प्रमाणित करने के लिए दी गयी साक्ष्य पर विचार करना चाहिये।

न्यायालय के लिए आवश्यक है कि इन उपधारणाओं को लेते समय पहले अभियोजन के साक्ष्य पर विचार करें और यह देखें कि क्या अभियोजन ने प्राथमिक तथ्य स्थापित कर दिये हैं, उसके बाद निर्णय में उपधारणा का उल्लेख करते हुए उसे लेने के बारे में उल्लेख करें।

25. धारा–354(1)(ख) द0प्र0सं0, 1973 अब वर्तमान में धारा–393(1)(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर प्रकरण में साक्ष्य के बेहतर विश्लेषण निम्नलिखित निश्चायक बिन्दु अवधारित किये जाते है–

i. क्या घटना दिनॉक–12.03.2019 से एक वर्ष पूर्व पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होकर अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत **''बालक''** की श्रेणी में आती है ?

ii. क्या दिनांक–12.03.2019 से एक वर्ष पूर्व अभियुक्त मोनिस ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता का व्यपहरण किया ?

iii. क्या अभियुक्त मोनिस ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को अवैध संभोग/शादी करने के आशय से विवश कर व्यपहृत किया ?

iv. क्या अभियुक्त मोनिस ने शादी करने का झांसा देकर, वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार किया ?

v. क्या अभियुक्त मोनिस ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

vi. क्या अभियुक्त मोनिस ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार करते समय मोबाइल से फोटो/वीडियो बनाकर, वाट्स–अप व इण्टरनेट पर डालकर प्रचार प्रसार किया ?

निष्कर्ष व उसके आधारः–

26. अवधारणीय प्रश्न कमांक–1 की विवेचना एवं निष्कर्षः–

i. क्या घटना दिनॉक–12.03.2019 से एक वर्ष पूर्व पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होकर अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ''बालक'' की श्रेणी में आती है ?

बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता घटना के समय बालिग थी।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया। लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में वादिनी मुकदमा ने अपनी पुत्री/पीड़िता की उम्र 13 वर्ष 04 माह बताया है। पी0डब्लू0–2 पीड़िता के दादा ने मुख्य परीक्षा बयान में अपनी नतिनी/पीड़िता की उम्र 13 वर्ष बताया है। पी0डब्लू0–3 पीड़िता ने मुख्य परीक्षा बयान में घटना के समय अपनी उम्र 17 वर्ष बतायी है तथा धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान

में पीड़िता ने अपनी उम्र 13 वर्ष बताया है। पी0डब्लू0–5 डा0 सबा नुसरत ने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि रेडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष आंकी गयी।

27. नये किशोर न्याय अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम) 2015 की धारा–94 के अनुसार पीड़िता की उम्र का निर्धारण किया जायेगा। पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विधि **Jarnail Singh V. State of Haryana 2013 Cri.L.J. 3976 S.(B) Penal Code (45 of 1860), S.376–Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Rules (56 of 2000), R–12–Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Act (56 of 2000),S.68–RAPE–JUVENILE OFFENDER–Rape–Age of prosecutrix–Determination–Manner provided under R. 12 of 2007 Rules ought to be followed– There is no difference as regards minority between child in conflict of law and child who is victim of crime.** अभिनिर्धारित की गई है।

28. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से पीड़िता के उम्र के बाबत पत्रावली पर कोई शैक्षणिक प्रमाण–पत्र दाखिल नहीं किया गया है। पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में घटना के समय अपनी उम्र 17 वर्ष बतायी है तथा धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता ने अपनी उम्र 13 वर्ष बताया है, जबकि रेडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष आंकी गयी। इस प्रकार घटना दिनॉक–12.03.2019 के एक वर्ष पूर्व अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होकर वह **''बालक''** की श्रेणी में पायी जाती है। तद्नुसार **विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1** का निराकरण किया जाता है।

29. **अवधारणीय प्रश्न कमांक–ii, iii, iv, v** व **vi की विवेचना एवं निष्कर्षः–**

iii. क्या अभियुक्त मोनिस ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को अवैध संभोग/शादी करने के आशय से विवश कर व्यपहृत किया ?

iv. क्या अभियुक्त मोनिस ने शादी करने का झांसा देकर, वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार किया ?

v. क्या अभियुक्त मोनिस ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

vi. क्या अभियुक्त मोनिस ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार करते समय मोबाइल से फोटो/वीडियो बनाकर, वाट्स–अप व इण्टरनेट पर डालकर प्रचार प्रसार किया ?

उपरोक्त सभी प्रश्न एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण, एक साथ विवेचित किया जा रहा है जिससे साक्ष्यों के पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

30. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। साक्षीगण के बयानों में विरोधाभाष है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपने तहरीर में घटना की कोई तिथि व समय नहीं

बताया गया है। एफ0आई0आर0 काफी विलम्ब से है। अभियुक्त को दुश्मनीवश फंसाया गया है। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

31. अभियुक्त **मोनिस** के विरूद्ध धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम का आरोप लगाया गया है। अतः **धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0** व **3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम** के प्रावधान/परिभाषा का उल्लेख करना,न्यायसंगत होगा।

धारा–363 भा0द0स0 की परिभाषाः

363 व्यपहरण के लिए दण्ड–जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना–जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी, वह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जायेगी यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरूपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जायेगा।

बलात्संग के मामले में सम्मति के संदर्भ में भा0द0सं0 की **धारा–375** में ही स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, जो निम्नांकित है–

धारा–375 बलात्संग–जो पुरूष एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भॉति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरूष ''बलात्संग'' करता है, यह कहा जाता हैः–

पहला–उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा–उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा–उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को,जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

चौथा–उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरूष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है, कि वह ऐसा पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पॉचवां–उस स्त्री की सम्मति से,जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्ता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिये जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठॉ–उस स्त्री के सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह अठ्ठारह वर्ष से कम आयु की है।

3. प्रवेशन लैंगिक हमला–कोई व्यक्ति ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' करता है,यह कहा जाता है, यदि वह–

(क) अपना लिंग,किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

धारा–4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड–(1) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि (दस वर्ष) से, कम की नही होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जायेगा।

उपरोक्त आरोपों के सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया।

32. **पी0डब्लू0–1 असीरून्निशां** (वादिनी मुकदमा) ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–'' मोहनीस मेरे गॉव का है। पीड़िता मेरी लड़की है। मेरी लड़की को मोहनीस ने छप्पर में ले जाकर दुष्कर्म किया था। लोक लाज की वजह से पीड़िता ने नहीं बताया। मोहनीस ने शादी का लालच देकर पीड़िता के साथ कई बार रेप किया व नंगी तश्वीर लेकर नेट पर डाल दिया। जानकारी हुई तो मैनें अपनी लड़की से पूछा तो पीड़िता ने बताया कि मोहनिस साल भर से शादी का लालच देकर रेप करता था, फोटो खींचकर नेट पर डाला गया। गॉव नात बात के कई लोगों के मोबाइल पर पीड़िता का नंगी तस्वीर डाल दिया था। घटना की सूचना थाने पर दिया परन्तु कार्यवाही नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना–पत्र दिया था। ''

पी0डब्लू0–1 से प्रतिपरीक्षा जारी होने के पश्चात, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिपरीक्षा के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी, जिसके कारण बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षा करने का अवसर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वादिनी का इस प्रकरण में मुख्य परीक्षा/साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सकता।

33. **पी0डब्लू0–2 गोली** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' पीड़िता पुत्री रामशेर मेरी सगी नतिनी है। पीड़िता के माता का नाम असीरून्निशां है। लगभग 10 माह से ऊपर हुआ होगा, मेरे गांव का ही मोनिस पुत्र अब्दुल सत्तार मेरी नतिनी के साथ अपनी नंगी व तमाम गलत फोटो जिसमें पीड़िता का भी कपड़ा खोला गया था, गांव में तमाम लोगों के मोबाइल पर डाल दिया था। जब लोग मेरे घर पर आकर बताने लगे तब मुझे इस बात की जानकारी हुई मेरे परिवार वाले और मैं पीड़िता से जब इसके बाबत पूछे, तब उसने रोते–रोते बताया कि–'' मोनिस हमारे साथ बहुत दिन से गल काम जबरदस्ती कईले रहना और हमार फोटो खींच ले रहलै। कई बार तो अपने घर के छप्पर में ही बुलाकर हमरे साथ गलत काम मोनिस किये रहे। '' मेरी नतिनी ने यह भी बताया कि अश्लील तस्वीर लोगों को दिखाने की धमकी भी मोनिस देते थे। इसी नाते मैं उसका विरोध नहीं कर पाती थी। सही घटना की जानकारी के बाद थाना महुली में पीड़िता की मॉ असीरून्निशां ने इसका मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने भी मेरा बयान लिया था। इस समय भी पीड़िता की उम्र ज्यादा से ज्यादा चौदह वर्ष होगी। पीड़िता मेरी नतिनी है। घटना के समय उसकी उम्र तेरह वर्ष थी। मोनिस पुत्र सत्तर मेरे गॉव का है। मोनिस मेरी नतिनी को बहला फुसलाकर अपने घर के छत पर बने छप्पर पर दुष्कर्म करता था। वह मेरी नतिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता था। मेरी नतिनी लज्जावश यह बात किसी को नहीं बताती थी। बाद में कुछ समय बाद वह मेरी नतिनी का नंगी फोटो लेकर इन्टरनेट पर डाल दिया, तब हम लोग थाने पर जाकर मुकदमा किये। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–2 गोली ने कथन किया है कि–'' लगभग 10 माह से ऊपर हुआ होगा, मेरे गॉव का ही मोनिस पुत्र अब्दुल सत्तार मेरी नतिनी पीड़िता के साथ अपनी नंगी व तमाम गलत फोटो जिसमें पीड़िता का भी कपड़ा खोला गया था। गांव में तमाम लोगों के मोबाइल पर डाल दिया था। जब लोग मेरे घर पर आकर बताने लगे, तब मुझे इस बात की जानकारी हुई। मैं पीड़िता से जब इसके बाबत पूछे, तब उसने रोते–रोते बताया कि–'' मोनिस हमारे साथ बहुत दिन से गलत काम जबरदस्ती कईले रहना और

हमार फोटो खींच ले रहलै। कई बार तो अपने घर के छप्पर में ही बुलाकर हमरे साथ गलत काम मोनिस किये रहे।'' आगे कथन किया है कि–**" घटना घटे हुए मैनें स्वयं अपनी ऑखों से नहीं देखा था। मेरी नतनी पीड़िता ने भी मुझको कुछ नहीं बताया था। मैनें ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता पाऊंगा। मोनिस ने पीड़िता का कोई फोटो नेट पर नहीं डाला था और न मैनें देखा था। मोनिस ने पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं किया था। "**

पी0डब्लू0–2 गोली के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीखा में घटना व अभियोजन कथानक का समर्थन किया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा में किये गये कथन के विपरीत कथन करते हुए बताया कि–
" घटना घटे हुए मैनें स्वयं अपनी ऑखों से नहीं देखा था। मेरी नतनी पीड़िता ने भी मुझको कुछ नहीं बताया था। मैनें ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता पाऊंगा। मोनिस ने पीड़िता का कोई फोटो नेट पर नहीं डाला था और न मैनें देखा था। मोनिस ने पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं किया था। " इस तरह उक्त साक्षी का बयान आत्म–विरोधाभाषी है, जो साक्षी को अविश्वसनीय बनता है। उक्त साक्षी के आत्म विरोधाभाषी, असंगत व अविश्वसनीय बयान से घटना व अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

34. **पी0डब्लू0–3 पीड़िता** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' घटना घटित हुए चार साल हो गये हैं। मोहनीश हमारे गांव का रहने वाला है। मोहनीश हमें बुलाकर अपने घर ले जाकर मेरे साथ बलात्कार करता था। उस समय मैं 17 वर्ष की थी। अब मैं बीस वर्ष की हूॅं। उसे पैरोल पर छुड़ाना चाहती हूॅं तथा शादी करना चाहती हूॅं। मेरा मोहनीश के संसर्ग से कोई बच्चा नहीं है। मोहनीश से घटना से दो साल पहले से मेरी बातचीत होती थी। महिला सिपाही ने मेरा बयान लिया था। मेरा डाक्टरी जांच हुई है। मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष मेरा बयान हुआ था। बयान 164 द0प्र0सं0 शीलबन्द लिफाफा आज न्यायालय में खोला गया। साक्षी ने बयान पर लगे फोटो एवं उसके नीचे बने हस्ताक्षर की पुष्टि की। साक्षी को धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यही बयान मैनें मजिस्ट्रेट साहब को दी थी। बयान के नीचे अंगूठा निशान है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–3 पीड़िता ने कथन किया है कि–'' कथित घटना के समय मेरी उम्र करीब 19 वर्ष थी। हाजिर अदालत मुल्जिम ने अपहरण–व्यपहरण नहीं किया था, यानी अगवा करके भगाकर नहीं ले गया था। मोनिस ने कभी भी मेरे साथ गलत काम या बलात्कार नहीं किया था। मोनिस ने मेरी कोई फोटो नहीं खींचा था एवं कोई अश्लील वीडियो भी नहीं बनाया था। मोनिस ने अश्लील वीडियो बनाकर इन्टरनेट पर नहीं डाला था। मेरी मॉ ने दुश्मनीवश दूसरे के बहकावे एवं चढ़ावे पर FIR करा दिया था। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था।

अभियोजन की ओर से जिरह करने पर इस साक्षी पीड़िता पी0डब्लू0–3 ने कथन किया है कि–'' मैं पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। मेरा मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ था। मुझे अपनी जन्मतिथि नहीं याद है। मैनें मजिस्ट्रेट साहब के सामने गलत बयान किया था। ''

प्रकरण में सर्वोत्तम, महत्वपूर्ण व चश्मदीद साक्षी पी0डब्लू0–3 पीड़िता के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने का कथन किया है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा में किये गये कथन के विपरीत बयान देते हुए कथन किया है कि–**'' कथित घटना के समय मेरी उम्र करीब 19 वर्ष थी। हाजिर अदालत मुल्जिम ने अपहरण–व्यपहरण नहीं किया था, यानी अगवा करके भगाकर नहीं ले गया था। मोनिस ने कभी भी मेरे साथ गलत काम या बलात्कार नहीं किया था। मोनिस ने मेरी कोई फोटो नहीं खींचा था एवं कोई अश्लील वीडियो भी नहीं बनाया था। मोनिस ने अश्लील वीडियो बनाकर इन्टरनेट पर नहीं डाला था। मेरी मॉ ने दुश्मनीवश दूसरे के बहकावे एवं चढ़ावे पर FIR करा दिया था। ''** इस तरह प्रकरण की महत्वपूर्ण व चश्मदीद साक्षी का साक्ष्य अविश्वसनीय पाया जाता है। पीड़िता ने अपने बयान/जिरह में स्पष्ट रूप से बताया है कि–**'' मोनिस ने मेरी कोई फोटो नहीं खींचा था एवं कोई अश्लील वीडियो भी नहीं बनाया था। मोनिस ने अश्लील वीडियो बनाकर इन्टरनेट पर नहीं डाला था। ''** पीड़िता के उक्त बयान से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम का आरोप सन्देह से परे साबित नहीं पाया जाता है। पीड़िता के उक्त आत्म–विरोधाभाषी, असंगत, अविश्वसनीय बयानों से घटना व अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती।

35. **पी0डब्लू0–4 बाबूलाल प्रसाद** (हे0का0) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' वर्ष 2019 में मैं बतौर हेड मोहर्रिर थाना महुली पर तैनात था। दिनांक 13.03.19 करो मेरी नियुक्ति कार्यलेख पर थी। उसी दिन वादी मुकदमा असीरून्निशां के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मेरे द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोलकर CCTNS पर मुकदमा अपराध संख्या–103/2019, धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट एवं 67ए, 67 आई0टी0एक्ट विरूद्ध मोनिस कायम कराया गया और उसकी प्रति निकालकर थाना प्रभारी के समक्ष चिक रखी गयी। चिक FIR पर बिन्दु A स्थान पर SHO के हस्ताक्षर है। SHO श्री शैलेन्द्र राम के हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूॅ। चिक FIR शामिल पत्रावली 4क/1 ता 4क/3 है जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इस मकदमें की जी0डी0 मेरे द्वारा कायम करायी गयी। जी0डी0 नं0–39 दिनांक 13.03.19 समय 18:15 बजे विरूद्ध मोनिस मु0अ0सं0–103/19, धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सों एक्ट व 67ए, 67 आई0टी0एक्ट कायम की गयी। जी0डी0 शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/20 है जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी पी0डब्लू0–4 ने कथन किया है कि–'' चिक FIR कब दर्ज हुआ था, मुझे याद नहीं है। जिस दिन सूचना होती है उस दिन जी0डी0 दर्ज होती है। मूल जी0डी0 मैं लेकर नहीं आया हूॅ। चिक FIR कितने बजे दर्ज किया था, यह मैं फाईल देखकर बता सकता हूॅ। जिसने FIR दर्ज कराया था, उसने प्रार्थना–पत्र के साथ कोई फोटो नहीं दिया था। वादिनी मुकदमा ने थाने पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। जी0

डी0 दिनांक 13.03.2019 जो लिखी गयी है, वह पत्रावली में संलग्न है। यह जी0डी0 कम्प्यूटर प्रिंट है। चिक FIR पर वादी मुकदमा का दस्तखत कराया था। ''

पी0डब्लू0–4 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध चिक FIR प्रदर्श क–3 व जी0डी0 प्रदर्श क–4 को न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया है। इस साक्षी को घटना की वास्तविकता के बारे में जानकारी नहीं है।

36. पी0डब्लू0–5 डा0 सबा नुसरत ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' मैं दिनांक 15.03.2019 को बतौर महिला चिकित्साधिकारी, संयुक्त जिला चिकित्सालय संतकबीर नगर में तैनात थी। उस दिन मैनें पीड़िता पुत्री गोली साकिन जमुहट थाना महुली का डाक्टरी मुआयना समय 8:00 पी0एम0 पर किया था।पीड़िता को थाना महुली की महिला कान्सटेबल प्रमिला द्वारा मेरे समक्ष लाया गया था।
पहचान चिन्ह–चेहरे पर बायें तरफ होंठ के नीचे काले तिल का निशान। पीड़िता अपना नाम पता, समय सही बता रही थी। यह भी बताया था कि घटना दो दिन पहले की है। ऊंचाई 5 फिट, वजन 45 किग्रा., दॉत 13/14 मौजूद थे। बाहय् परीक्षण–पीड़िता के पूरे शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। आन्तरिक परीक्षण–पीड़िता के आन्तरिक भाग पर कोई चोट का निशान नहीं था। योनि की झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। वेजाइनल स्मीयर, स्वाब, नाखून, कांख व नीचे के बाल व खून का सैम्पल लेकर डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु महिला कान्स0 को दिया। पीड़िता ने अपनी एल0एम0पी0 20 दिन पहले आना बतायी थी। पीड़िता के उम्र निर्धारण हेतु एक्सरे हेतु रेडियोलाजिस्ट के पास रेफर किया। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट संलग्न पत्रावली 4क/13 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। A बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ, इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पीड़िता का पूरक परीक्षण रिपोर्ट, एक्सरे प्लेट नं0–159 के आधार पर मेरे द्वारा तैयार किया गया था। रेडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष आंकी गयी। **अभिमत**–पीड़िता के साथ सेक्सुअल एसार्ट के हमले के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। पूरक परीक्षण रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। कागज संख्या–4क/15 शामिल मिसिल है, B बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ, इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–5 ने कथन किया है कि–'' डाक्टरी मुआयना के समय पीड़िता के आन्तरिक व बाहय शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी थी। पीड़िता के पुष्ट पर भी कहीं कोई चोट नहीं थी। बलात्कार की पुष्टि के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। मेडिकल कराने की अनुमति पीड़िता ने स्वयं दिया था। उसके किसी अभिभावक ने नहीं दी थी। पीड़िता के साथ कोई सैक्सुअल एसार्ट नहीं पाया गया। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र 17 वर्ष आंकी गयी है। जो उम्र निर्धारित होती है, उससे 2 साल ऊपर भी हो सकती है। यदि 17 वर्ष में 2 साल जोड़ा जावे तो वह उम्र 19 वर्ष भी हो सकती है। ''

पी0डब्लू0–5 चिकित्सक साक्षी के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया है। इस साक्षी ने पीड़िता के आंतरिक

परीक्षण में कोई चोट का निशान नहीं पाया है। लैंगिक हमला या बलात्कार की पुष्टि के बाबत कोई राय नहीं दिया गया है। इस साक्षी के अनुसार रेडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र 17 वर्ष ऑकी गयी है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता की चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क–5 व पूरक परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श क–6 के रूप में तस्दीक किया है।

37. पी0डब्लू0–6 गौरव सिंह (निरीक्षक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' दिनांक 13.03.2019 को मेरी तैनाती थाना महुली पर निरीक्षक अपराध के पद पर थी। वादिनी मुकदमा असिरून्निशा पत्नी शमशेर साकिन–जमुहट, थाना महुली जनपद–सन्त कबीर नगर द्वारा एक पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर को टाईपशुदा प्रार्थना पत्र दि0–12.03.2019 को दिया गया, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया। उनके आदेश पर मुकदमा अपराध संख्या–103/2019 अन्तर्गत धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67, 67ए आई0टी0एक्ट विरूद्ध मोनिस पुत्र अब्दुल सत्तार साकिन जमुहट थाना–महुली, जनपद–सन्त कबीर नगर कायम होकर मुझ विवेचक को विवेचना प्राप्त हुई। वादिनी व पीड़िता के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। वह नक्शा नजरी संलग्न पत्रावली कागजल सं0–4क/05 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।– तमामी विवचेना बयान वादिनी, बयान पीड़िता, निरीक्षण घटनास्थल, बयान गवाहान, अवलोकन डाक्टरी रिपोर्ट इत्यादि साक्ष्य संकलन से अभियुक्त मोनिस के विरूद्ध जुर्म धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67, 67ए आई0टी0एक्ट में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। वह आरोप–पत्र पर प्रदर्श क–8 डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–6 गौरव सिंह ने कथन किया है कि–'' यह FIR SHO के आदेश पर पंजीकृत हुआ था। घटना के दिन कोई FIR ना करके काफी दिन बाद FIR हुई थी। FIR दर्ज करने के लिए प्रार्थना–पत्र द्वारा जन शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय, संत कबीर नगर से मिली थी, जिस पर FIR दर्ज हुई थी। विवेचना मुझे 13.03.2019 को मिली थी, उसी दिन मैं घटनास्थल पर गया था। नक्शा नजरी भी मैनें उसी दिन ही तैयार किया था। मैनें अपने ऑख से उसके या किसी के मोबाइल में किसी का अश्लील वीडियो नहीं देखा था और जिन गवाहान का मैनें बयान लिया था, उन्होंने भी मुझे वह अश्लील वीडियो नहीं दिखाया था। – पीड़िता ने अपनी उम्र 19 वर्ष बतायी थरी, पीड़िता पढ़ी लिखी नहीं थी। कुटुम्ब रजिस्टर के अवलोकन से पीड़िता की जन्मतिथि 2005 व मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष दर्शायी गयी है। ''

पी0डब्लू0–6 विवेचक के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी को विवेचना प्राप्त होने वाले दिन वादिनी व पीड़िता के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया। विवेचक या किसी साक्षी द्वारा मोबाइल में अश्लील वीडियो देखने की बात नहीं बताये हैं। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र 17 वर्ष पाये जाने पर पाक्सो एक्ट में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध आरोप–पत्र को प्रदर्श क–8

के रूप में तस्दीक किया है।

38. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना की कोई तिथि व समय नहीं बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध टाईप शुदा तहरीर प्रदर्श क–1 एवं साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया। वादिनी मुकदमा ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है। चूँकि वादिनी द्वारा लिखित तहरीर दिनांक–12.03.2019 को दिया गया है और तहरीर में ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि घटना के एक वर्ष पूर्व से अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ आपराधिक कृत्य किया जा रहा था। तहरीर के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा को काफी समय बाद पीड़िता द्वारा घटना की जानकारी हुई है। ऐसी स्थिति में वादिनी मुकदमा जब घटना के बारे में पीड़िता के द्वारा जब जानकारी हुई, तभी उसने प्रार्थना–पत्र जरिये संबंधित थाने से अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया। ऐसी स्थिति में वादिनी द्वारा घटना के वास्तविक तिथि और समय नहीं लिखा जाना, दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। वादिनी मुकदमा ने दिनांक 12.03.2019 को पुलिस अधीक्षक, सन्त कबीरनगर को प्रेषित टाईपशुदा तहरीर प्रदर्श क–1 में स्पष्ट कथन किया है कि–'' प्राथिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना महुली में जा करके दि0–09.03.2019 को प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु आज तक न तो मुकदमा पंजीकृत करके कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। अतः सादर प्रार्थना है कि मोनिस पुत्र अब्दुल सत्तार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश थानाध्यक्ष महुली को देने की कृपा करें। '' वादहू पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर के आदेश के अनुपालन में थाना महुली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–13.03.2019 को पंजीकृत किया गया है। वादिनी ने अपने मुख्य परीक्षा में भी कथन किया है कि–'' घटना की सूचना थाने पर दिया परन्तु कार्यवाही नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना–पत्र दिया था। '' इस तरह प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से दर्ज कराने का पर्याप्त कारण, अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्ट रूप से अभिदर्शित किया गया है। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कन्हैया लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2013 (5) एस0सी0सी0 पृष्ठ 625** में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने में हुए विलम्ब के प्रभाव पर विचार करते हुए यह अवधारित किया है कि यह सुस्थापित विधि है कि **मात्र एफ0 आई0 आर0 विलम्ब से दर्ज कराना अभियोजन कथानक के लिए स्वयमेव घातक नहीं है।**

इसी प्रकार का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राम दास व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 (57) ए0सी0सी0 पृष्ठ–471** में भी दिया है। बलात्कार के मामले में विलम्ब से एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के संबंध में न्यायालय को भिन्न दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। माननीय सर्वोच्च न्यायायल ने **हिमांचल प्रदेश बनाम प्रेम सिंह 2009 (1) ए0सी0सी0 पृष्ठ 420** में यह कहा है कि **लैंगिक अपराध से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी को अन्य अपराधों के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब के बराबर (Equate) नहीं माना जा सकता है।**

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त अभिमत एवं अभियोजन साक्षी

द्वारा घटना के बाद विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में अपने बयान में दिये गये सम्यक् स्पष्टीकरण के कारण प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक को अमान्य नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी दशा में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

39. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षीगण के बयानों में काफी विरोधाभाष है। पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षा में घटना से पूरी तरह से इन्कार किया है।

इस संबंध में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि घटना की महत्वपूर्ण साक्षी वादिनी मुकदमा का मुख्य परीक्षा अंकित हुआ, परन्तु प्रतिपरीक्षा के समय उसकी मृत्यु हो के कारण उपस्थित नहीं हो सकी, जिससे उसका प्रतिपरीक्षा पूर्ण नहीं हो पाया। पी0 डब्लू0–2 गोली ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया, परन्तु प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा में किये गये कथन के विपरीत कथन करते हुए विरोधाभाषी एवं असंगत बयान दिया है। उक्त साक्षी चश्मदीद साक्षी भी नहीं है। इसने सुनी–सुनायी बातों के आधार पर बयान दिया है। जहॉ तक प्रकरण की महत्वपूर्ण व चश्मदीद साक्षी पीड़िता का प्रश्न है, इस संबंध में पीड़िता ने भी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया, परन्तु प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा में किये गये कथन के विपरीत कथन किया है। ऐसी स्थिति में साक्षीगण के आत्म–विरोधाभाषी व असंगतपूर्ण बयान से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध घटना को सन्देह से परे साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के उक्त तर्क को बल मिलता है।

40. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि–व्यवस्था **लल्ला बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, 2024**(1) JIC 425 (ALL)(LB),Allahabad High Court (Lucknow Bench) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–" **PenalCode 1860, Section 363, 366 and 376–Rape–FIR. Lodged after two days of missing of prosecutrix–After 13 days prosecutrix and appellant apprehended–No mark of injury on body or privetw part found–Medical report showing that she was habitual in intercourse–In thirteen days she had ample opportunity to raise hue and cry but she did not–Two independent witnesses who saw lastly said that girl was walking ahead and appellant was following her–Age as per medical evidence appears to be more than 16 years–From evidence it appears that she was consenting party and she her own self went with appellant–Hence, conviction set aside–Appeal allowed.**

उपरोक्त निर्णयज विधि में पारित विधिक सिद्धान्त, प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थिति से मेल खाते हैं।

41. मामले के तथ्यो, परिस्थितियों तथा साक्षीगण के उपरोक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अवधारणीय प्रश्न क्रमांक संख्या–**ii, iii, iv, v** व **vi** के संदर्भ में अन्तर्गत धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 व धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम के आरोपित अपराध को साबित करने में असफल

रहा है। तद्नुसार **अवधारणीय प्रश्न क्रमांक संख्या–ii, iii, iv, v** व **vi** का निराकरण किया जाता है।

42. उपरोक्त मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र विश्लेषणोपरान्त तथा निर्णयज विधि में पारित विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक–12.03.2019 से एक वर्ष पूर्व किसी समय, बहद ग्राम–जमुहट, थाना–महुली, जिला–सन्त कबीर नगर में अभियुक्त ने वादिनी श्रीमती असीरून्निशां की अवयस्क लड़की/पीड़िता को बहला–फुसलाकर उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से अवैध सम्भोग/विवाह करने के आशय से व्यपहरण/व्यपहृत कर,पीड़िता के साथ बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया तथा बलात्कार करते समय मोबाईल से फोटो व वीडियों बनाकर वाट्स–अप तथा इण्टरनेट पर डालकर प्रचार–प्रसार किया।

43. अतः अभियुक्त मोनिस को धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 व धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध से सन्देह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

44. विशेष सत्र वाद संख्या–**0365/2019,** मुकदमा अपराध संख्या–**0103/2019,** थाना–महुली, जनपद–सन्त कबीर नगर के मामले में अभियुक्त **मोनिस** को **धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0** एवं **धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012** व **धारा–67, 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम** के तहत दण्डनीय अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त जमानत पर है। अभियुक्त के जमानतनामें एवं बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किये जाते हैं।

अभियुक्त द्वारा अन्तर्गत धारा–437ए द0प्र0सं0/481 BNSS के अनुपालन में मु0 **पच्चीस हजार रूपये** की धनराशि की **दो प्रतिभू** एवं समान धनराशि का **व्यक्तिगत बन्ध–पत्र** दाखिल किया जाय, जो निर्णय की तिथि से **06 माह** तक प्रभावी रहेगा।

दिनॉक–19.08.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
सन्त कबीर नगर।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉक–19.08.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Date: 2026.08.19 16:43:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court